न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–63 / 2024 जी.सी.एम.एस. पॉर्टल नम्बरः– 2024 / 175

उनवानः–
सुधा शर्मा पत्नि लवकुश जाति ब्राम्हण निवासी मौ0 ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी पैलेस के सामने धौलपुर

————————————————————वादिया

बनाम

1. सुरेशचन्द उर्फ पप्पू पुत्र देवीराम जाति काछी निवासी बीना गोयल नर्सिंग होम के सामने पटपरा रोड धौलपुर
2. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

——————————————— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट, वादीया की ओर से
श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर

दिनांक 06 .06.2025

निर्णय

वादीया की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 949 रकवा 0.3288 है0 950 रकवा 0.1770 है0 वाके कस्वा धौलपुर तहसील जिला धौलपुर है। वादीया विवादित आराजी में 1/2 भाग की अभिलिखित खातेदार कास्तकार है तथा काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी में 1/2 भाग का अभिलिखित खातेदार कास्तकार है। विवादित आराजी वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 की अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर अब तक वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 सामूहिक रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त करते रहे है, लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 01 के मन में वादीया के हिस्से के प्रति बदनीयति आ चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादीया को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहता है तथा रास्ते से लगे हुए संपूर्ण भूभाग पर अकेले कब्जा कर वादीया को बेदखल कर अपना निर्माण करना चाहता है तथा भूखण्डों में विक्रय करना चाहता है। इसलिए अब सामूहिक रूप से काश्त करना संभव नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व वादीया से एलानिया इजहार किया है कि वह वादीया को विवादित आराजी से बेदखल करेगा, आयन्दा कास्त करने नही देगा तथा रास्ते से लगे हुए भू–भाग पर अपना मकान निर्माण करेगा तथा वादीया ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह वादीया के

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

हाथ पैर तोड देगा तथावादीया से आमदा फसाद हो गया तथा हकूक वादीया एंव बंटवारा कास्त से स्पष्ट इंकारी हो गया । उपरोक्त परिस्थिति में वादीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आरीज में निहित अपने हिस्से 1/2 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करावे तथा खाता व लगान भी पृथक कायम करावे। अतः दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीया के 1/2 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार तहरीर की गई है गलत है स्वीकार नही है। वादीया ने जिसे विवादित आराजीयात कथित किया है वादीया 1/2 भाग की अभिलिखित खातेदार कास्तकार केवल राजस्व रिकॉर्ड में है। वादीया केवल ख.नं. 949 रकवा 0.3288 है0 के पूर्वी भाग 0.2529 है0 पर अकेल काबिज है तथा प्रतिवादी सुरेश ख.नं. 950 रकवा 0.1770 है. तथा ख.नं. 949 के रकवा 0.0759 है0 कुल रकवा 0.2529 है. पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी का ख.नं. 950 में पुश्तैनी पक्का मकान बहुत पुराना बना हुआ है।विवादित आराजी का 49 वर्ष पूर्व ही वादीया के पूर्व खातेदार हरिकिशन व प्रतिवादी के पिता देवीराम के मध्य पूर्व बाहमी बंटवारा हो गया था। 01 माह पूर्व प्रतिवादी ने वादीया से मौखिक वाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारे की कहा तो वंटवारा से इकांरी हो गया। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी को पूर्व वाहमी बंटवारे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2076 खाता संख्या 175 वाके ग्राम कस्वा धौलपुर तथा नक्शा अक्स पेश किया।

वादीया की ओर से काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नही किया। दिनांक 28.03.2025 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के काउन्टर क्लेम अनुसार दावा प्रारंभिक डिक्री किए जाने का कथन किया तथा वकील प्रतिवादी ने वकील वादी के कथनों से सहमति जाहिर की। अतः वकील उभयपक्ष की सहमति से दावा वादीया एंव काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 01 प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 949 एंव 950 वाके ग्राम कस्वा धौलपुर का प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में वर्णित कब्जे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए। आदेशानुसार तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक राजस्व/2025/339 दिनांक 27.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक ने विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव पर वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक को सुना गया। वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक ने दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करने का कथन किया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

उभयपक्ष को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। अतः उभयपक्ष की सहमति से हम दावा वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीया उभयपक्ष की सहमति से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 949 रकवा 0.3288 है0 950 रकवा 0.1770 है0 वाके कस्वा धौलपुर तहसील जिला धौलपुर का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)	किस्म
1.	सुधा शर्मा पतिन लवकुश हि. पूर्ण जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार	949/2	0.2529	चा0अ0
2.	सुरेशचन्द उर्फ पप्पू पुत्र देवीराम हि.पूर्ण जाति काछी सा. देह खातेदार	950 949/1	0.1770 0.0759	चा0अ0

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0